

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-6/अ0-03-01/2017

पटना, दिनांक-

श्री असदुल्लाह गालिब अंसारी, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), विशेष अंचल, पटना का बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत पूर्व में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1145 दिनांक-01.04.2026 द्वारा दिनांक-06.04.2026 से 19.04.2026 तक स्वीकृत उपार्जित अवकाश को विस्तारित करते हुए दिनांक-06.04.2026 से 26.04.2026 तक कुल 21 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त उपार्जित अवकाश के स्वीकृति के उपरान्त श्री अंसारी के अवकाश लेखा में (300-21=279) (दो सौ उन्नासी) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/अ0-03-01/2017 1732

पटना, दिनांक-18/5/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (बै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना -800015/
कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/राज्य-कर अपर आयुक्त(प्र0), केन्द्रीय
प्रमंडल, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0,
वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं
श्री असदुल्लाह गालिब अंसारी, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), विशेष अंचल, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।